

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/8/24 आज पञ्जवली पंचायती वकील
वादी उपस्थित। वकील वादी को प्रतिवादी
की तलवी कराने हेतु पूर्व से वार-वार
काई अवसर जमान किए जाने के
बावजूद भी उनके द्वारा तलवी नहीं
कराई गई। अतः वादी का वाद अदम
अनुपालना (आदेश 09 विधम 05 CPC)
में खारिज किया जाता है। पञ्जवली
पंचायत शुमार शेकर वरुवर से
काम है। 21 खिल इस्तार हो। पञ्जवली
वाद वकील जमान जिला लेख मथार
हो। मुन्नादा गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (सुरथल-तिजाल)